

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला जिला बैतूल(म0प्र0)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुडोपा)

दांडिक प्रकरण कमांक-455 / 15

संस्थापित दिनांक 07 / 08 / 2015

फाईलिंग नं. 233504004122015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियोजन.

—: विरुद्ध :-

1. अवदेश उर्फ आदेश पिता किशोरी, उम्र 27 वर्ष,
 2. बुदेश उर्फ बड़ा गुड्डु पिता किशोरी, उम्र 36 वर्ष,
 3. दिलीप पिता फूसु गाटे, उम्र 29 वर्ष,
- उक्त तीनों-नि0ग्राम डोडावानी, थाना आमला,
 जिला बैतूल (म0प्र0)

-----अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक-27 / 12 / 2016 को घोषित)

01— अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 की धारा-294, 323/34 एवं 506 भाग-2 के अंतर्गत अभियोग है कि आपने दिनांक 11/07/15 समय शाम 07:00 बजे करीब फरियादी के घर के सामने ग्राम डोडावानी, थाना आमला, जिला बैतूल म0प्र0 के अंतर्गत लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी देवाराम मेहरा और अन्य को क्षोभ कारित किया, आपने सह-अभियुक्तगण अवधेश उर्फ आदेश, दिलीप के साथ मिलकर देवाराम मेहरा को स्वेच्छया उपहति कारित करने के आशय से और उसकी पूर्ति में सह अभियुक्तगण ने फरियादी देवराव मेहरा को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की, आपने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 11/07/15 को शाम करीब 07 बजे वह उसके घर के सामने खड़ा था उसी समय दिलीप, अवधेश लकड़ी तथा बड़ा गुड्डु लाठी लेकर उसके पास आये और बोले मादर चोद तू रमेश के साथ ज्यादा रहता है आज तुझे निपटा देता हूँ कहकर तीनों ने उसे पैरो ने लकड़ी व लाठी से मारा वह वहीं गिर पड़ा तभी प्रकाश व उसकी पत्नी तथा रमेश आ गये बीच बचाव किया तो तीनों बोल आज बच गया है अब दुबारा रमेश के साथ रहा तो जिन्दा नहीं छोड़ेंगे। मारपीट से सीधे पैर के घुटने के नीचे तथा टकने पर व बांये पैर

में घुटने के नीचे चोट लगी।

03— प्रथम सुचना रिपोर्ट प्र०पी०-1 है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 382/15 के अंतर्गत अपराध कायम कर भा०दं०वि० की धारा 294, 323, 34, 506 भाग-2 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 13/07/15 को घटना का नक्शा मौका प्र०पी०-2 बनाया गया, फरियादी का मेडिकल मुलाहिजा तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर, गिरफ्तारी पंचनामा प्र०पी० 05, 06, 07 तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

04— अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 313 दं०प्र०सं० के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्तगण ने अपने अभियुक्त परीक्षण में सामान्य परीक्षा में कहा कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त कथन के दौरान बचाव पक्ष ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— **न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि:-**

1. “आपने दिनांक 11/07/15 समय शाम 07:00 बजे करीब फरियादी के घर के सामने ग्राम डोडावानी, थाना आमला, जिला बैतूल म०प्र० के अंतर्गत लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी देवाराम मेहरा और अन्य को क्षोभ कारित किया?”
2. “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने सहअभियुक्तगण अवधेश उर्फ आदेश, दिलीप के साथ मिलकर देवाराम मेहरा को स्वेच्छया उपहति कारित करने के आशय से और उसकी पूर्ति में सह अभियुक्तगण ने फरियादी देवराव मेहरा को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?”
3. “उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभिप्रास कारित किया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

—: विचारणीय प्रश्न कं. 02 का निराकरण

06— अभियोजन साक्षी देवराव (अ०सा०१) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय वह घर के सामने खड़ा था उसी समय दिलीप, अवदेश तथा गुड्डु लाठी लेकर आए और उसके साथ मारपीट की, तब उसके बच्चे और पत्नी ने बचाया। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह रमेश के साथ मजदूरी में काम पर जाता है इसलिए आरोपीगण कहते हैं कि उसके साथ काम पर क्यों जाते हो। आगे इस गवाह ने व्यक्त किया है कि आरोपीगण को कोई काम धंधा नहीं मिलता है इस बात को लेकर आरोपीगण उससे रंजिश रखते हैं। इस प्रकार उक्त प्रतिपरीक्षा में इस गवाह के द्वारा किए गए स्वीकृत तथ्यों में यह स्पष्ट से व्यक्त किया है कि अभियुक्तगण ने रमेश के साथ फरियादी देवराव काम में क्यों जाता है। इसी बात की रंजिश रखकर फरियादी के साथ मारपीट की, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है।

07— आगे इस गवाह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उसके साथ किसी भी आरोपीगण ने कोई मारपीट नहीं की। किन्तु प्रतिपरीक्षा की कंडिका 5 में स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया है कि आरोपीगण से उसकी रंजिश है इसलिए उसकी रंजिश है। आगे गवाह ने स्पष्ट रूप से स्वतः कहा है कि उसके साथ मारपीट की इसलिए उसने रिपोर्ट की। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसने थाने में आकर रिपोर्ट कर दी थी रिपोर्ट करने वह अकेला थाना आया था। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी के साथ लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की।

08— अभियोजन साक्षी डॉ० एन०के० रोहित (अ०सा००५) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दिनांक 12/07/05 को सैनिक हरिप्रसाद आहत देवराव को लेकर उसके पास आया था और आहत के शरीर में चोट क्रं 1 उसके दाहिने पैर पंजे एवं जोड़ पर 3 गुणित 2 एवं 3 गुणित 2 गुणित 1 से०मी० आकार का सूजन एवं फटा हुआ घाव पाया गया। इस चोट के लिए उसने एक्सरे की सलाह दी थी। चोट नं० 2 बांये पैर पर 3 गुणित 1 एवं 2 गुणित 1 से०मी० आकार का खरोंच का निशान पाया था। आगे इस गवाह ने अभिमत में बताया है कि चोटें कड़े एवं बोथरे से पहुँचाई गई थी जो कि 12 से 24 घंटे के अंदर पहुँचाई गई थी। चोट नं. 2 साधारण किस्म की थी चोट नं. 1 की प्रकृति एक्सरे के परिणाम पर निर्भर थी। उसकी रिपोर्ट प्र०पी० 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है।

09— इस गवाह को बचाव पक्ष के द्वारा प्रतिपरीक्षा में सुझाव दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति तेज गति से चलाता हुआ मोटर साईकिल से गिर जाये तो ऐसी चोट आना संभव है। जबकि फरियादी देवराव को उक्त चोट के संबंध में कोई सुझाव नहीं दिया गया है। जिससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगणों के द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की। साथ ही अपने अभिमत में डॉ० एन०के० रोहित (अ०सा००५) ने बताया है कि उक्त चोटें 12 से 24 घंटे के अंदर की थी और घटना दिनांक 11/07/15 के शाम की 7:30 बजे की है, जो कि डॉ० एन०के० रोहित (अ०सा००५) के समक्ष दिनांक 12/07/15 के जो कि 12 घंटे के पूर्व की जो कि घटना में घटित होने के पश्चात् चोट होने की पुष्टि होती है।

10— अभियोजन साक्षी रामरति (अ०सा००२) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपीगण अवधेश, उदेश उर्फ गुड्डु एवं दिलीप ने उसके पति के साथ लाठी से मारपीट की थी और उसने बीच बचाव किया था। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह घटना के समय घर पर थी। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि आवाज आई तो वह घर के बाहर आई। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि जैसे ही घर के बाहर आई तो अभियुक्तगण भाग गए थे। आगे इस गवाह ने स्वतः कहा कि आरोपीगण उसके पति को मारपीट कर रहे थे। इस प्रकार इस गवाह के मुख्यपरीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि उसके पति फरियादी देवराव को अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट

करते देखा है, जो कि आहत देवराव को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति के तथ्य स्पष्ट करते हैं।

11— अभियोजन साक्षी प्रकाश (अ0सा03) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि रमेश के साथ काम करने जा रहे थे, तभी अवधेश, उदेश और दिलीप उसके पापा के साथ लाठी से मारपीट कर रहे थे। उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षा में अखंडित रही है। आगे इसग वह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 3 में स्वीकार किया है कि रमेश के साथ काम में क्यों जाता है इस बात से पहले से ही रंजिश है। अर्थात् अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व रंजिशवश ही मारपीट की गई है क्योंकि रंजिश दो धारी तलवार होती है जो कि अभियुक्तगण को झूठा फंसाया भी जा सकता है और मारपीट की जा सकती है। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी को मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की गई।

12— अभियोजन साक्षी रमेश (अ0सा04) ने अपनी मुख्य परीक्षा सूचक प्रश्न में घटना घटित होने का समर्थन नहीं किया है।

13— अभियोजन साक्षी एस0एस0 पटेल (अ0सा06) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि वह घटना स्थल पर जाकर प्रार्थी देवराव की निशादेही पर घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0 2 तैयार किया जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान उसने प्रार्थी देवराव गवाह प्रकाश, रमेश, रामरति के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था जिसमें उसने उसके मन से कुछ जोड़ा या छोड़ा नहीं था। उसने अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी सूचना प्र0पी0 5 लगायत 7 दिया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14— आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 2 में अस्वीकार किया है कि घटना स्थल का नक्शा मौका प्र0पी0 2 थाने में बैठ कर बनाया था। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में अस्वीकार किया है कि उसने दिनांक 13/07/15 से दिनांक 22/07/15 तक किसी भी साक्षियों के कथन नहीं लिए थे। साथ ही कथन देने के तथ्यों का समर्थन फरियादी देवराव (अ0सा01), रामरति (अ0सा02), प्रकाश (अ0सा03) ने अपनी साक्ष्य से किया है। इस प्रकार विवेचना अधिकारी के द्वारा की गई कार्यवाही विश्वसनीय प्रतीत होती है।

15— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के साथ लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति करित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं 2 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रं 1 व 3 का निराकरण

16— अभियोजन साक्षी देवराव (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपीगण ने उसे मादर चोद तू रमेश के साथ ज्यादा बनता है कि गंदी-गंदी गालियाँ दी थी। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि उसे किस आरोपीगण ने किस प्रकार की अश्लील गालियाँ दी, अभियोजन साक्षी देवराव (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में यह भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि

आरोपीगण ने उसे किस प्रकार की धमकी दी। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1 व 3 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

17— उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित है कि अभियुक्तगण ने सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी के साथ लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति करित की। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह अप्रमाणित है कि लोकस्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी देवाराम मेहरा और अन्य को क्षोभ कारित किया। उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह भी अप्रमाणित है कि फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार अभियुक्तगण अवधेश उर्फ आदेश, बुदेश उर्फ बड़ा, दिलीप ने भा०द०वि० की धारा-294 एवं 506 भाग-2 के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। किन्तु भा०द०वि० की धारा 323/34 का अपराध प्रमाणित होने से अभियुक्तगण अवधेश उर्फ आदेश, बुदेश उर्फ बड़ा, दिलीप को दोषसिद्ध किया जाता है।

(सजा के प्रश्न पर निर्णय हेतु स्थगित किया गया)

(धन कुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

18— सजा के प्रश्न पर उभय पक्ष को सुना गया। अभियुक्तगण की ओर से उनके अधिवक्ता श्री के०एल० सोलंकी ने व्यक्त किया कि अभियुक्तगण प्रथम अपराधी है और वे सभी परिवार के कर्ता सदस्य है। अभियुक्तगण विवाहित है उनके घर में छोटे-छोटे बच्चे है। अभियुक्तगण के जेल जाने से उनके सामाजिक जीवन एवं आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये मात्र उन्हें अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का निवेदन किया। इसके विपरित अभियोजन पक्ष की ओर से ए.डी.पी.ओ. श्री अमितराय के द्वारा अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया।

19— अभिलेख का अवलोकन एवं प्रस्तुत तर्क पर विचार किया गया कि अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी को लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की है। साथ ही आरोपीगण लगभग 2 वर्ष तक विचारण में भाग लेते रहे हैं और यह उनका प्रथम अपराध है उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है। उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को कारावास की सजा न दी जाकर अर्थदण्ड से दंडित किये जाने से विधायिका की मंशा पूर्ण होती है। उक्त परिस्थितियों में अभियुक्तगण अवधेश उर्फ आदेश, बुदेश उर्फ बड़ा, दिलीप को भा०द०वि० की धारा 323/34 के अपराध के आरोप में प्रत्येक को 1000/-, 1000/-, 1000/- (एक-एक-एक हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। अभियुक्तगण के द्वारा अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर 1-1 (एक-एक) माह का साधारण कारावास भुगताया जावे। अभियुक्तगण का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण

पत्र तैयार किया जावे।

20— दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357(3) के अंतर्गत फरियादी देवराव को क्षतिपूर्ति स्वरूप राशि 2000/—(दो हजार)रुपये दिया जावे, शेष राशि राजशात की जावे।

21— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया
गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०